राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान,
तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

क्रमांकःई–33/(सीधी भर्ती–2013)/2013/175 दिनांकः 26-02-2013

सहायक रेडियोग्राफर एवं लैब टेक्नीशियन के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञप्ति वर्ष–2013

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में **निम्नलिखित पदों** पर नियमित नियुक्ति के लिये सीधी भर्ती–2013 हेतु इन नियमों में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ये आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित **समस्त ई–मित्र (E-Mitra) कियोस्क एवं नागरिक सेवा केन्द्र (Common Service Centre)** पर **दिनांक 01.03.2013** से भरे जा सकते हैं।

निम्न पदों की भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र विभाग की वैबसाईट **www.mhsonline.rajasthan.gov.in** पर **दिनांक 01.03.2013** से उपलब्ध है।

कम सं.	पद नाम	पदों की संख्या
1.	सहायक रेडियोग्राफर	218
2.	लैब टेक्नीशियन	1166

उपरोक्त पदों की इन रिक्तियों में आरक्षण नियमानुसार देय है। विज्ञापित पदों में कमी अथवा वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा। जिसके लिये पृथक से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी। आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रकिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

1. आवेदन करने की प्रकिया

(i) भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन (online application form) लिये जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित समस्त ई–मित्र कियोस्क एवं नागरिक सेवा केन्द्र (Common Service Centre) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रू0 40/– (रू0 30/– आवेदन पत्र भरने हेतु एवं रू0 10/– आवेदन शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑन लाईन आवेदन पत्र भरना चाहता है, तो वह ई–मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र पर केवल आवेदन शुल्क जमा करवा कर विभाग की वैबसाईट www.mhsonline.rajasthan.gov.in के माध्यम से स्वयं आवेदन कर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां आवेदन शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रू0 10/– ही सेवा शुल्क देना होगा। **हाथ से भरे गये आवेदन पत्र/हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेगें।**

(ii) आवेदन शुल्क व ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने का निर्धारित शुल्क की राशि ई–मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र पर केवल नकद राशि के रूप में ही स्वीकार की जावेगी।

(iii) अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुरूप आवेदन शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क एवं नागरिक सेवा केन्द्र (Common Service Centre) के माध्यम से जमा करा सकेगा। आवेदन शुल्क नकद जमा कराते समय अभ्यर्थी पदनाम (जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है) स्वयं का नाम, पिता का नाम, वर्ग, जन्म तिथि, मूल निवास आदि का वर्णन सादा पेपर पर अंकित कर ई–मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र पर प्रस्तुत करेगा। आवेदन शुल्क जमा कराने के उपरान्त कम्प्यूटर द्वारा रसीद प्राप्त होगी, जिसमें उक्त सूचनाओं के साथ टोकन नम्बर जारी किया जावेगा। साथ ही साथ यह टोकन नम्बर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिये अंकित (enter) करने पर ही आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। टोकन नम्बर अंकित नही करने पर कम्प्यूटर स्कीन पर ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रदर्शित नहीं होगा।

(iv) आवेदन पत्र ऑनलाईन सबमिट हो जाने के बाद एडिटिंग की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी विशेषरूप से यह नोट करलें कि आवेदन शुल्क जमा कराने की रसीद में दर्ज विवरण ही ऑनलाईन आवेदन पत्र में स्वतः ही दर्ज होगा, जिसे आवेदन करते समय एडिटिंग नहीं किया जा सकेगा। अतः आवेदक, आवेदन शुल्क

जमा कराने की रसीद में स्वयं से संबंधित प्रविष्टियां यथा– स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, मूल निवास आदि प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक सोच समझ कर सहीरूप से दर्ज करावे। **प्रविष्टि में त्रुटि होने पर रसीद उसी दिन निरस्त करवा कर राशि जमा कराने की दूसरी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। रसीद जमा कराने की तिथि के पश्चातवर्ती दिवसों में रसीद निरस्त कराने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।**

(v) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में फोटो अपलॉड करने के लिये अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज (4.5cm.x3.5 cm.) फोटोग्राफ ई–मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र पर साथ लाऐं।

(vi) अभ्यर्थी को अपना पासपोर्ट साईज फोटो, हस्ताक्षर एवं अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के समय स्केन कर अपलॉड किया जाना अनिवार्य है।

(vii) नियमों में उल्लेखितानुसार अनुभव प्राप्त आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा यथाविधि जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलॉड किया जाना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र अपलॉड नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदक को बोनस अंक/आयु में शिथिलता देय नहीं होगी। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। **ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात किसी प्रकार का अतिरिक्त अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। अपलॉड किये जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र पर आवेदक अपना टोकन नम्बर व स्वयं के पूर्ण हस्ताक्षर मय नाम स्वयं की हस्तलिपि में आवश्यक रूप से अंकित करेगा।**

(viii) अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन पत्र कमांक (Application ID) आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन पत्र कमांक उपलब्ध नहीं होता है तो इसका अर्थ यह है कि आवेदन पत्र जमा (सबमिट) नहीं हुआ है।

नोटः–

(1) ऑनलाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप **विभाग की वैबसाईट www.rajswasthya.nic.in** अथवा **www.mhsonline.rajasthan.gov.in** से डाउनलॉड कर लें और उसे ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व हाथ से भर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो।

(2) अभ्यर्थी अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भेजने/सबमिट करने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिन्ट आउट ले कर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं।

(3) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क तथा नागरिक सेवा केन्द्रों की सूची विभाग की वैबसाईट www.mhsonline.rajasthan.gov.in एवं ई–मित्र की वैबसाईट www.emitra.gov.in पर उपलब्ध है।

(4) ऑनलाईन आवेदन पत्र में वांछित समस्त सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्ध कर दिया जावेगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

(5) किसी भी आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र में एडिटिंग की अनुमति नहीं है।

(6) गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन पत्र में सुधार हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के पश्चात कोई प्रार्थना पत्र/पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(7) कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा जानबूझ कर भ्रामक सूचना देने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त करने के साथ आपराधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।

(8) अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, वह उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

(9) अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट/फोटोप्रति आवश्यक रूप से अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि विभाग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत कर सकें।

2. आवेदन करने की अंतिम तिथि

(i) आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 01.04.2013 (सांय 6.00 बजे तक) है।

(ii) ऑनलाईन आवेदन पत्र **दिनांक 02.04.2013 को मध्य रात्रि 12.00 बजे तक** भरे जा सकेगें। इसके उपरान्त ऑनलाईन लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा।

(विभाग को विशेष परिस्थितियों में उक्त तिथियों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा)

3. आवेदन शुल्क :–

(i) सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग क्रिमीलेयर के अभ्यर्थियों के लियेः– रू0 300/–

(ii) अन्य पिछडा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये :– रू0 200/–
(केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी के लिये)

(iii) सभी श्रेणी के विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लियेः– रू0 200/–
(ऑनलाईन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क रू0 40/– (रू0 30/– आवेदन पत्र भरने हेतु एवं रू0 10/– आवेदन शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप से आवेदक को देने होंगे)

4. आरक्षण :–

(i) विज्ञापित उक्त पदों की रिक्तियों में आरक्षण नियमानुसार देय है।

(ii) कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2)डीओपी/ए–II/88 पार्ट–1 दिनांक 24.1.2011 के अनुसरण में सीधी भर्ती में महिलाओं के लिये उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 8 प्रतिशत विधवा एवं 2 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार वर्गवार आरक्षण देय होगा, परन्तु किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां अन्य महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगीं तथा पात्र और उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेंगी और आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा, अर्थात महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को उनके पिता के नाम/निवास स्थान के आधार पर राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । पति के नाम/निवास से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछडा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को उनके माता/पिता के नाम/निवास स्थान एवं आय के आधार पर राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । पति के नाम/निवास व आय से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

मुस्लिम विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में न्यायालय की तलाक की डिक्री के अलावा तलाकनामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु इस बाबत महिला को समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो उनके तलाक को प्रमाणित करें एवं साथ ही महिला स्वंय को भी इस संबध में स्वंय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(iii) भूतपूर्व सैनिकों को 12.50 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार देय होगा। यह आरक्षण दण्डवत रूप में देय है। अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जावेगा।

(iv) विज्ञापित उक्त पदो के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान के नोटिफिकेशन दिनांक 21.07.2011 राजस्थान विशेष योग्यजन का (समान अवसर, अधिकारों को संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 एवं भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 22.03.2007 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों (Persons with disabilities) को 3 प्रतिशत आरक्षण दण्डवतरूप से देय होगा। अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जावेगा। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 22.03.2007 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के नोटिफिकेशन दिनांक 21.07.2011 में शिड्यूल 32 में वर्णित **पद विशेष के कार्य के लिये पात्र विशेष योग्यजन अभ्यर्थी को ही उसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय होगा**। विशेष योग्यजन की पृथक से मेरिट सूची बनाकर चयनित अभ्यर्थियों को उनकी मूल जाति वर्ग के लिये आरक्षित पदों के विरूद्ध चयनित माना जावेगा।

नोटः– 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता होने पर ही इस वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा। विभाग द्वारा विज्ञापित इन पदों हेतु पात्र विशेष योग्यजन श्रेणियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

पद नाम	पात्र विशेष योग्यजन श्रेणी
सहायक रेडियोग्राफर	वन लैग/हियरिंग इम्पेर्मन्ट
लैब टेक्नीशियन	वन लैग/बोथ लैग

(वन लैग एवं बोथ लैग लोकोमोटर डिसएबेलिटि में आती हैं)

(v) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के नियम "7C" में उल्लेखित स्तर के प्रमाण पत्र धारित राजस्थान के उत्कृष्ट खिलाडी अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार 2 प्रतिशत आरक्षण दण्डवत देय होगा एवं इसका समायोजन उसी प्रवर्ग में किया जावेगा, जिस प्रवर्ग का अभ्यर्थी है। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जावेगा और ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिये अग्रणीत नहीं की जायेगी। उत्कृष्ट खिलाडियों से तात्पर्य ऐसे खिलाड़ियों से है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचे लिखे स्पष्टीकरण में उल्लेखित खेलों में भाग लिया हो तथा प्रथम/द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

स्पष्टीकरणः– उत्कृष्ट खिलाडियों से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित हैं राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होनें अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और किकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियिनशिपों में, प्रत्येक वर्ग के लिये निम्नलिखित विवरणानुसार व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया होः–

एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेश खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आईटम) या उसकी टीम (टीम स्पर्धा में) ने प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

(vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद केवल इन वर्गो के राजस्थान राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों से ही भरे जावेगें। इन वर्गो के राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी नहीं होने पर अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में माना जावेगा।

(vii) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग क्रिमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलियर एवं नॉनक्रिमीलियर) के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के माने जावेगें।

(viii) विज्ञापित पदों में राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को आगामी तीन भर्ती वर्षो के लिये अग्रणीत किया जायेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती हे तो ऐसे वर्षो को उक्त तीन वर्ष की अवधि में संगणित नहीं किया जायेगा।

(ix) राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग (नॉनक्रिमीलियर), उत्कृष्ट खिलाडियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।

(x) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.09.2007 के अनुसार दर्शाये गये अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Area) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों एवं अधिसूचित सहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

5. <u>वेतनमान व अन्य सुविधायें</u> :–

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र संख्या एफ 11 (7) एफडी (रूल्स)/08 दिनांक 12.09.2008 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष के प्रोबेशनकाल में निम्नप्रकार नियत पारिश्रमिक देय होगा :–

क.सं.	पद नाम	रनिंग पे–बैण्ड	ग्रेड–पे	प्रोबेशनकाल में देय नियत पारिश्रमिक
1.	सहायक रेडियोग्राफर	5200–20200	2400/–	7900/–
2.	लैब टेक्नीशियन	5200–20200	2400/–	7900/–

दो वर्ष की कालावधि का परीविक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही उक्त वर्णित नियमित वेतन श्रृंखला देय होगी। चयनित/नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

6. <u>योग्यता</u> :–

भर्ती हेतु विज्ञापित उक्त पदों के लिये शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता का विवरण निम्नानुसार है:–

क.सं.	पद नाम	शैक्षणिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता
1.	सहायक रेडियोग्राफर :	जीव विज्ञान विषय सहित सीनीयर सैकेण्ड्री अथवा समकक्ष।	(i) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोग्राफी कोर्स उत्तीर्ण। (ii) राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीयन (राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल का गठन हो जाने पर उसमें पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा)
2.	लैब टेक्नीशियन :	जीव विज्ञान विषय सहित सीनीयर सैकेण्ड्री	(i) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नीशियन का डिप्लोमा। (ii) राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीयन (राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल का गठन हो जाने पर उसमें पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा)

उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी के लिये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में यथाविहित समस्त अन्य योग्यताऐं पूर्ण करना अनिवार्य है। वह आवेदित पद के लिये इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिये।

आवेदक द्वारा इन पदों हेतु आवेदन करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक, व्यवसायिक एवं अन्य निर्धारित योग्यताऐं अर्जित किया जाना आवश्यक है।

7. **आयु** :– आयु के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियम 10 के प्रावधान लागू होगें।

(i) आयु सीमा की गणना **01.01.2014** को आधार मानकर की जावेगी।

(ii) न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिये
परन्तु इस अधिकतम आयु सीमा में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार गत वर्षों में निम्न पदों पर भर्ती नहीं किये जाने के कारण अधिकतम आयु सीमा में निम्न प्रकार शिथिलता देय होगी:–

क.सं.	पद नाम	अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता
1.	सहायक रेडियोग्राफर :	1 वर्ष
2.	लैब टेक्नीशियन :	1 वर्ष

(iii) अधिकतम आयु में राज्य सरकार के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार निम्न प्रकार शिथिलता प्रदान की जावेगी:–

(a) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों एवं सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।

(b) विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिलाओं के लिये कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।
स्पष्टीकरण:– विधवा अभ्यर्थी के मामले में अभ्यर्थिया को अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह महिला के मामलें में उसे विवाह विच्छेद का सक्षम न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(c) राज्य के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायीतौर पर सेवा कर रहे व्यक्तियों के मामलें में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

(d) विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के नियोजन के संबध में प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 16(1)(107) dis.w./s.j.ed/ 2011/ 56534 दिनांक 21.7.2011 के उप नियम 39 के अधीन नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुये अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय है :–

(i) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष

(ii) पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

(e) भूतपूर्व सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

आयु की छूट के संबंध में विशेष प्रावधान:– कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 2(1)/डीओपी/ए–।।/82 दिनांक 06.02.2013 के अनुसार जो अभ्यर्थी राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 10 में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, एनआरएचएम, मेडीकेयर रिलिफ सोसायटी, एड्स कन्ट्रोल सोसायटी एवं सहकारिता विभाग के अधीन संस्थाऐं अथवा सहकारी उपभोक्ता भण्डारों पर in any capacity समान पद (similar post) पर कार्यरत हैं/रहे हैं उन अभ्यर्थियों को समान पद (similar post) पर उनके कार्यानुभव अवधि की सीमा तक अथवा अधिकतम 5 वर्ष की आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जावेगी।

नोट :–

1. इस विशेष प्रावधान के तहत आयु सीमा में शिथिलता ऊपर वर्णित आयु सीमा में शिथिलता के साथ अतिरिक्त रूप से देय होगी। इस विशेष प्रावधान के तहत आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 10 के तहत वर्णित आयु सीमा में छूट के अन्य प्रावधान Non Cumulative है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जावेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोडकर छूट का लाभ देय नहीं होगा। इस विशेष प्रावधान की छूट अतिरिक्त रूप से देय होगी।
2. उपरोक्तानुसार आयु सीमा में छूट का लाभ सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

8. अनुभव के आधार पर बोनस अंक :– राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के नियम 19 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अभ्यर्थियों को बोनस अंक देय हैं।

(i) इन विज्ञापित पदों के लिये सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी के अन्तर्गत विज्ञापित पद के समान कार्य (similar work) पर कार्य करने की अवधि के आधार पर अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत बोनस अंक एवं अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक देय होगें। **एक वर्ष से कम अवधि के लिये कोई बोनस अंक देय नहीं होगा।**

(नोटः– 365 दिवस पूर्ण होने पर ही एक वर्ष माना जावेगा)

(ii) विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र का प्ररूप निम्न हैः–

कार्यालय...

क्रमांकः–   दिनांकः–

अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पत्नि/पुत्री .... निवासी .... की नियुक्ति .... के आदेश क्रमांक............. दिनांक.............के द्वारा .... के पद पर संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार पर .... योजना में की गयी थी, जो इस पद पर दिनांक ....से दिनांक .... तक कार्यरत है/रहा है/रही है। इनकी उक्त पद पर कुल कार्य अवधि ....वर्ष......माह....... दिन की है।

हस्ताक्षर

नाम ....

पदनाम ....

कार्यालय स्टाम्प.........................

(प्रधानाचार्य मेडिकल/डेन्टल कॉलेज/अधीक्षक संलग्न चिकि. समूह/पीएमओ/सीएमएचओ/उप निदेशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला/निदेशक एमएसयू/निदेशक आर.आर.सी./ मुख्य सार्व. विश्लेषक/सहकारिता विभाग का सक्षम अधिकारी/जो भी लागू हो)

(iii) प्रधानाचार्य मेडिकल/डेन्टल कॉलेज/अधीक्षक संलग्न चिकि. समूह/पीएमओ/सीएमएचओ/उप निदेशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला/निदेशक एमएसयू/निदेशक आर.आर.सी./मुख्य सार्व. विश्लेषक/सहकारिता विभाग का सक्षम अधिकारी को उनके अधीन कार्य करने के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम

अधिकारी माना जावेगा। यदि विभाग द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के सत्यापन के पश्चात ही बोनस अंक/आयु में शिथिलता नियमानुसार दी जावेगी एवं विभाग द्वारा चाहे जाने पर मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(v) अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर अनुभव के आधार पर बोनस अंक देय नहीं होंगे एवं बाद में कोई अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

नोटः— अनुभव अवधि की गणना इन पदों की इस भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि 01.03.2013 के ठीक पूर्व दिवस 28.02.2013 तक की जावेगी।

9. **चयन का आधार एवं वरियता सूची तैयार करने का आधार** :—

(i) आवेदित पद हेतु आवेदकों का चयन राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 में उल्लेखित प्रावधानानुसार नियमों में उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अथवा व्यावसायिक योग्यता परीक्षा अथवा दोनों जैसी भी स्थिति हो में प्राप्त प्राप्तांकों एवं बोनस अंकों के आधार पर नियमानुसार तैयार वरियता सूची (मेरिट) से किया जायेगा।

(ii) वरियता सूची तैयार करने हेतु आवेदक द्वारा नियमों में उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अथवा न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता परीक्षा अथवा दोनों जैसी भी स्थिति हो, के प्रतिशत के औसत का 70 प्रतिशत लिया जायेगा एवं प्राप्त इन प्रतिशत अंको में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों के लिये बिन्दू संख्या 8 (i) के अनुसार बोनस अंकों का प्रतिशत (अधिकतम 30) सीधे ही जोड कर वरियता सूची बनाई जावेगी। विज्ञापित पदों के लिये नियुक्ति हेतु वरियता सूची तैयार करने के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा एवं न्यूनतम व्यवसायिक योग्यता परीक्षा का विवरण इस विज्ञप्ति में ऊपर बिन्दु संख्या 6 में दिया जा चुका है।

(iii) वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पात्रता दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता, अन्य योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र आदि समस्त दस्तावेजों का सत्यापन, पुलिस सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि के प्रस्तुत करना होगा।

10. **चयन के लिये अयोग्यता** :—

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं सेवा में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है, के आधार पर इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट न दे दें। अन्यथा इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नहीं होगी।

(ii) कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नही होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है, के आधार पर इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दें। अन्यथा इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नहीं होगी।

(iii) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक जीवित बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नही होती परन्तु यह और कि जहॉं किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से एक ही बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते है, वहॉं बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा।

<u>**विशेष नोट**</u>:— अभ्यर्थी के बच्चों की कुल संख्या की गिनती करते समय डिसएबिलिटि (Disability) वाले बच्चों के संदर्भ में कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए—।।/95/ पार्ट—।। दिनांक 24.02.2011 के प्रावधान लागू होगें।

(iv) आयोग/सरकार/किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माने जावेंगे।

(v) शासन के परिपत्र क्रमांक प. 6 (19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.06 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे।

(vi) आवेदक के लिये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में यथाविहित समस्त अन्य योग्यताऐं पूर्ण करना अनिवार्य है। वह आवेदित पद के लिये इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिये।

(vii) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो।

11. <u>दस्तावेजों का सत्यापन</u> :–

(i) वरियता सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु विभाग द्वारा आहुत करने पर तय स्थान पर व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत अभ्यर्थियों को निर्धारित स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र मय चैक लिस्ट विभाग द्वारा तय निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके साथ अभ्यर्थी द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति, ऑनलाईन आवेदन के समय घोषित शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता/अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति/वर्ग प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न करनी होगी और विभाग द्वारा बुलाये जाने पर उक्त दस्तावेजों की मूल प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। मूल प्रमाण पत्रों से प्रस्तुत दस्तावेजों का मिलान नहीं कराने पर आवेदक पात्रता स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि आवेदक विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को समस्त दस्तावेजों सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होता है तो आवेदक की पात्रता स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ii) आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(iii) दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही उनकी नियुक्ति बाबत विचार किया जावेगा। आवेदन पत्र में उल्लेखित एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों का सत्यापन जारी करने वाली संस्था/सक्षम अधिकारी के कार्यालय से सत्यापन होने के पश्चात ही मूल दस्तावेज लौटाये जावेगें।

(iv) आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर ही चयन प्रकिया में प्रोविजनल रूप से सम्मिलित किया जावेगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत/घोषित दस्तावेजों की वैधता एवं पात्रता संबधी जांच करवाने का समस्त उत्तरदायित्व स्वंय आवेदक का होगा।

(v) कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा जानबूझकर भ्रामक, सूचना देने पर आवेदक का आवेदन निरस्त करने के साथ आपराधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।

12. <u>सामान्य निर्देश</u> :–

(i) अन्य पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि से 6 माह पूर्व तक की अवधि में राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, जिसमें क्रीमीलेयर/नॉनक्रीमीलेयर की प्रविष्टि स्पष्टतः अंकित होनी चाहिये ।इन वर्गो के क्रीमीलेयर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है।

(ii) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज न तो जोडा जावेगा और ना ही संशोधित किया जावेगा।

(iii) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन किया जाता है, तो यह विभागाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में होगा कि वह उनमें से किसी भी एक आवेदन पत्र पर विचार करें।

(iv) अनुसूचित क्षेत्र/सहरिया क्षेत्र के निवासी जो अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थी है, वे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जो अनुसूचित क्षेत्र/सहरिया क्षेत्र का हो, संलग्न करना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

(v) ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते है, उन्हें अपनी निःशक्तता के संबध में सक्षम चिकित्सक/चिकित्सा मण्डल द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(vi) शासन के परिपत्र क्रमांक प. 6 (19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.06 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। दस्तावेज सत्यापन के समय विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण की प्रति संलग्न की जानी अनिवार्य

होगी। यदि उक्त परिपत्र जारी होने से पूर्व विवाह हो चुका है तो इस आशय का शपथ पत्र 10/-रू0 के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

(vii) विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों द्वारा नियमों में विहित स्तर से जारी प्रमाण पत्र जिसमें विशेष योग्यजन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख होना चाहिये, मान्य होगा।

(viii) चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता, अन्य योग्यता व अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात ही नियुक्ति आदेश हेतु विचार किया जायेगा।

(ix) चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन विभाग की आवश्यकता, प्रशासनिक एवं अन्य कारणों से राजस्थान में किसी भी स्थान पर किये जाने के लिये विभाग स्वतन्त्र होगा। कोई भी अभ्यर्थी किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन का दावा नहीं करेगा।

(x) जो आवेदक चाहे वे पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। ऐसे आवेदकों को अपने नियोक्ता को इस भर्ती में आवेदन करने से पूर्व अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये।

(कन्हैया लाल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर